

July 05, 2023

| The Manager – Listing | The Manager – Listing |
|---------------------------------------|---------------------------|
| National Stock Exchange of India Ltd. | BSE Ltd. |
| Exchange Plaza | Phiroze JeeJeebhoy Towers |
| Bandra Kurla Complex | Dalal Street |
| Bandra (E), Mumbai -400051 | Mumbai- 400 001 |
| | |
| Scrip Code: PNBGILTS | Scrip Code: 532366 |
| | |

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Ref: Newspaper advertisement on Notice of transfer of equity shares of the Company to IEPF

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject matter, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement given by the company as per the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Section 124(6) of the Companies Act, 2013, intimating therein, interalia, the shareholders about the required transfer of shares (on which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more) to the Investors Education and Protection Fund Authority.


The newspaper advertisements are published on July 5, 2023 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi).

We request you to kindly take the same on record.


Thanking You,

Yours faithfully, For PNB Gilts Ltd.

(Monika Kochar) Company Secretary



पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड



सीआईएनः L74899DL1996PLC077120 पंजीकृत कार्यालयः 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 फोनरू 011–23325759 23325779. फैक्स नं.: 011–23325751, 23325763 ईमेल: pnbgilts@pnbgilts.com, वेबसाइट: www.pnbgilts.com

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की घारा 124(6) एवं निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, समय–समय पर संशोधित ('नियम') और अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसार पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचना दी जाती है–

उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार, कंपनी को उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है।

नियमों के अनुपालन में, कंपनी पहले ही उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत नोटिस भेज चुकी है, जिनकी लामांश राशि पिछले सात (7) लगातार वर्षों से दावा न की गई और बकाया है और संबंधित इविचटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियो नंबर/डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी इत्यादि की सूची कंपनी की वेबसाइट <u>https://www.pnbgilts.com</u> पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करें।

संबंधित शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी डीमैटरियलाइजेशन और ट्रांसफर के उदेश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों को हस्तांतरित करने हेतु, कंपनी नए शेयर प्रमाण पत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर–परक्राम्य समझा जाएगा।

कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त शेयरों के आईईपीएफ में हस्तांतरण से पूर्व ही वे अपने वित्तीय वर्ष 2015–16 से अनक्लेम्ड लामांशो को दावित करने हेतु नीचे दिए गये दस्तावेजों के साथ कंपनी को अक्टूबर 17, 2023 से पूर्व ही पहुँचाने का कष्ट करें। सेबी परिपत्र 3 नवंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 16 मार्च, 2023 के के अनुसार, बकाया लामांश भुगतान भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के बैंक खाते में तभी जमा किया जाएगा, जब फोलियो केवाईसी अनुपालित और नामांकन विवरण पंजीकृत हो। पैन, केवाईसी और नामांकन विवरण अपडेट करने में विफलता के परिणामस्वरूप ऐसे भौतिक फोलियो / होल्डिंग्स को जब्त कर लिया जाएगा। अतः भौतिक शेयर रखने वाले शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर 1, आईएसआर 2 (शेयरधारक के नाम वाले मूल रद्द किए गए चेक के साथ) और एसएच 13 को नियमानुसार अक्टूबर 17, 2023 से पहले एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण I, नई दिल्ली – 110020 को प्रेषित करें अथवा helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर एक ईमेल लिखें ताकि शेयर आईईईपीएफ में स्थानांतरित न हों।

संबंधित प्रपत्र व प्रारूप कंपनी की वेबसाईट <u>www.pnbgilts.com</u> से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डीमैट में रखे गए शेयरों के लिए, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में डीमैट खाते का सम्पूर्ण विवरण क्लाइट मास्टर सूची सहित और क्षतिपूर्ति बांड की एक प्रति भेजनी होगी।

यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 17 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों के अनुपालन में नियत तारीख तक आईईपीएफ को लाभांश हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगी। संबंधित शेयर जिन पर लगातार सात (7) वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है और ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी भावी लाभों को भी बिना किसी और सूचना के हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

कंपनी, हालांकि, ऐसे शेयरों को हस्तांतरित नहीं करेगी जिनका किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा किसी भी हस्तांतरण और लाभांश के भुगतान को रोकने के लिए एक विशिष्ट आदेश है या ऐसे शेयर जिनको डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत गिरवी रखा गया है। इसलिए, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के हस्तांतरण या लाभांश के भुगतान के संबंध में किसी भी न्यायालय / वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी निषेधाज्ञा/प्रतिबंध आदेश आदि के मामले में आदेश की प्रति के साथ कंपनी को तुरंत सूचित करें।

शेयरधारकों हेतु उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा।

हस्तांतरण होने पर, शेयरधारक केवल ऑनलाइन आवेदन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इन शेयरों पर दावा कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया / विवरण <u>www.iepf.gov.in</u> पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, शेयरधारक 'वेब फॉर्म आईईपीएफ– 5' के साथ उक्त फार्म में सूचीबद्ध दस्तावेजों को कंपनी के पास भेजें। कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश के साथ–साथ आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश और संबंधित शेयरों का दावा कर सकते हैं, जिसमें ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाम, यदि कोई हों, शामिल हैं।

यदि शेयरधारक(ओं) के पास कोई प्रश्न हैं तो कृपया कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज ।, नई दिल्ली –110020, दूरभाषः 011–41406149, 41406150, फैक्सः 011–41409881, ईमेल: <u>helpdeskdelhi@mcsregistrars.com</u> पर सम्पर्क करें। इसके अलावा कंपनी के नोडल अधिकारी को 011– 23325759 / 5779 पर सम्पर्क करें या ईमेल: m.kochar@pnbgilts.com पर भी लिख सकते हैं।

इस नोटिस में वर्णित सूचना कंपनी की वेबसाइट <u>www.pnbgilts.com</u> और बीएसई की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> तथा एनएसई की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

जनसता - 05 07 2022

स्थानः नई दिल्ली तिथिः 04.07.2023 पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड के लिये हस्ता/– (गोनिका कोचर) कंपनी सचिव